Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

हैदराबाद का निजाम

Dr. Manjay PD. Kashyap*

Assistant Teacher, Lakhisarai (Government of Bihar) Singer, A.I.R. and Durdarshan, Patna, Bihar (Government of India), Gold Medalist-Patna College, Patna University, Patna, Bihar

सार – वस्तुतः निजाम दक्कन में दिल्ली सम्राट का वैध प्रतिनिधि माना जाता था। परंतु 18वीं सदी के पूर्वार्द्ध में उसने प्रायः अपने को उसकी सत्ता से स्वतंत्र कर लिया था। मराठों और मैसूर के राज्यों ने धीरे-धीरे निजाम की शक्ति को नगण्य बना दिया और ये शक्तियाँ बराबर उस पर चढ़ाई करती थी और तंग करती थी। अपनी कमजोर स्थिति के कारण वह कम्पनी के मित्र बन गया और उनके हैदर के साथ लड़ाई को छोड़कर (1780) उसने बाजाप्ता संधि का अनुपालन किया। 1768 के संधि के अनुसार, 1782 में निजाम के भाई के मृत्यु के बाद कम्पनी ने गुन्टूर के जिले को वापस मांगा। यह स्थान निजाम के लिए बड़े महत्व का था, क्योंकि उसी से होकर समुद्र पहुँचने का रास्ता था। किन्तु कम्पनी के लिए भी यह सामरिक महत्व का था। क्योंकि यह मद्रास और दूसरी सरकारों के बीच में पड़ता था, उत्तर-दक्षिण में ब्रिटिश प्रदेश एक-दूसरे से अलग थे कई बहाने लगाकर निजाम ने इसके सौंपने में हीलाहवाला दिखलाया और 1788 ई0 के बीच तक जब तक परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, कार्नवालिस को इंतजार करना पड़ा। वह कप्तान केनेडी सितंबर में हैदराबाद गया और उसने गुण्टूर सरकार पर शांति से अधिकार प्राप्त कर लिया।

---------------------------------x---------------------------------

अब निजाम ने अपने विश्वस्त मंत्री को कलकत्ता भेजा। कुछ बाहरी उद्देश्य एवं आर्थिक मामलों को सुदृढ़ करना था, किंतु वास्तविक उद्देश्य यह था कि गुण्टूर की क्षति के बदले कम्पनी के साथ एक लाभदायक रक्षात्मक संधि की जाय। शीध्र ही निजाम ने 1768 की मछली पटनम की संधि के बल पर टीपू से अपने पुराने जिले फिर लेने के लिए ब्रिटिश सेना की सहायता मांगी। परंतु बाद में दो संधियाँ हो चुकी थी-1769 के संधि के अनुसार, 1768 की संधि हैदर को जिन प्रदेषों से वंचित करना चाहती थी, उनपर उसका अधिकार पक्का माना जा चुका था। दूसरी संधि 1785 में हुई इसके अनुसार अंग्रेजो ने उन प्रदेषों पर टीपू के अधिकार को मान लिया था। इन संधियो के अनुसार कार्नवालिस की स्थिति बड़ी नाजुक थी। उसके सामने पिटस इंडिया एक्ट की 34वीं धारा के आदेश भी थे। अंत में कार्नवालिस ने निजाम की प्रार्थना को स्वीकार करने का फैसला किया क्योंकि टीपू के साथ होने वाली लड़ाई का ख्याल करके वह निजाम और मराठों को अपना मित्र बनाने के लिए चिंतित था, उसने पार्लियामेंट के एक्ट को अपना अर्थ लगाया।

उस एक्ट के अनुसार वह संधि नहीं कर सकता था, 1768 की संधि को 'ठीक से कार्यान्वित करने के लिए'' इसकी व्याख्या कर सकता था। इसी उद्देश्य से उसने 7 जुलाई 1769 को निजाम के पास एक पत्र लिखा। इसमें उसने 1768 की संधि की अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या की और उसने निजाम को ब्रिटिश सेना देने की इच्छा प्रकट की वहां से अंग्रेजों के मित्रों के खिलाफ काम में नहीं लाई जा सकती थी। उन मित्रों के नाम एक सूची में लिखे हुए थे। उसमें टीपू के नाम का उल्लेख जान-बूझकर नहीं किया गया। कार्नवालिस ने यह बतलाया कि उतनी ही पावंदी है, जितनी पावंदी ''बाजाप्ता संधि की हो सकती है''।

कार्नवालिस ने जो निजाम को पत्र लिखा और उसके साथ की, आलोचना से परे नही हैं। सर जॉन मैकलम कहते हैं. ''पार्लियामेंट एक्ट के अक्षर के विरूद्ध नहीं जाने के इच्छा से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस अवसर पर दसकी भावना पर आघात पहुंचा।'' यद्यपि टीपू के विरोधी इरादों में और कार्नवालिस के साधारण उपायों की बुद्धिमानी में उसका पक्का विश्वास था, उसने आगे बतलाया कि ''इस मौके पर पार्लियामेंट एक्ट के प्रतिवंधों के उदार अर्थ के फलस्वरूप गर्वनर जनरल ने उेसा रास्ता अख्तियार किया, जो सच्चाई की दृष्टि से तो संदेहपूर्ण था ही, साथ ही टीपू की सीमाहीन आंकाक्षा को सीमीत करने के उचित एवं स्पष्ट उद्देश्य से खुली हुई रक्षात्मक संधि के खुले हुए, इकरारनामे से दसमें टीपू को अधिक क्रोध पहुंचाया और राजा के साथ युद्ध का वातावरण उत्पन्न करने में अधिक सहायता दी। यह स्पष्ट है, कि कार्नवालिस के कार्य पार्लियामेंट एक्ट का भाव भंग हुआ। चूँकि टीपू से युद्ध सम्भव मालूम पड़ता था, इसलिए

www.ignited.in

उसने विल्कुल ब्रिटिश हित की रक्षा करने के विचार से नीति चलाई।

पूर्व में ऐसा देखा गया कि कैसे निजाम ने 1790 में अंग्रेजों के साथ त्रिगुट संधि और कैसे 1795 ई0 में शोर ने अहस्तक्षेप की नीति के अनुसार ब्रिटिश सहायता देने से इंकार किया तो उसे मराठों ने खुर्दा की लड़ाई में हराया। निजाम को अंग्रेजों की इस अन्यमनस्कता पर क्रोध हुआ। जब वेलेस्ली भारतवर्ष आया, उस समय अंग्रेजों के साथ निजाम का संबंध अच्छा नहीं था। तब निजाम ने अपने सिपाहियों की शिक्षा फ्रांसीसी अफसरों के हाथ में दे दी। वेलेस्ली के शब्दों में वे “जैकोबीन बाद” के अत्यंत विशैले सिद्धांतों को मानने वाले फ्रांसीसी थे।''

किंतु कई कारणों से फिर अंग्रेजों और निजाम के बीच संबंध अच्छे हेाने लगे।

1797 ई0 में अपने बेटे अलीजाह के विद्रोह में अंग्रेजों ने उसकी सहायता की। साथ ही निजाम को धीरे-धीरे संदेह होने लगा कि हमारे दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ रहा है। ब्रिटिश को निजाम के मंत्री मीरअली के रूप में एक समर्थक मिला। उसने अंग्रेजों के साथ उसे मित्रता स्थापित करने को कहा। इस प्रकार निजाम को अंग्रेजों के साथ सितंबर 1798 ई0 की सहायक संधि करने को राजी कर लिया गया। इसके अनुसार सहायक सेना स्थाई कर दी गई और बढ़ाकर 6 बटालियन बना दिया गया। इसका वार्षिक व्यय-24,17,100 रूपया था। निजाम के फ्रांसीसी दस्ते का वर्खास्त होना तय हुआ, और यह भी तय हुआ की ब्रिटिश सरकार निजाम और पेशवा के बीच पंच का काम करेगी। यदि पेशवा इस प्रबंध को स्वीकार नही करेगा तो वह निजाम के मराठों के अन्यायपूर्ण एवं अनुचित मांगों से बचाएगी। निजाम नें टीपू के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाई में उनकी सहायता की। इसके लिए उसे मैसूर राज्य के कुछ भाग मिले। इस प्रकार 12 अक्टूबर 1800 को ब्रिटिश ने निजाम के साथ ''स्थायी एवं व्यापक रक्षात्मक संधि की।'' इसके अनुसार सहायक सेना में पैदल सिपाही के दो बटालियन और घुड़सवारों के एक रेजिमेंट को बढ़ा दिये गये और सेना के खर्च के लिए निजाम को 1792 और 1799 ई0 की संधियों के अनुसार जो आदेश मिले थे, सभी उसने अंग्रेजो को दे दिये। उसकी सालाना आय, 17,58,000 पैगोडा थी। केवल शर्त इतनी ही थी कि अच्छी सीमा के लिए प्रदेशों का कुछ अदल-बदल होगा। संधि ने उन कत्र्तव्यों को निश्चित किया, जिनके लिए सहायक सेना का उपयोग होगा। इसने निजाम को अपने राज्यों को आंतरिक सार्वभौम सत्ता में पक्का कर दिया, दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक समझौते बातचीत बंद कर दी और दूसरी शक्तियों के साथ उसके झगडों में उसने ब्रिटिश सरकार को पंच बना दिया।''

निजाम के अधीनस्थ बन जाने से अंग्रेजों का बड़ा लाभ हुआ निजाम भी अब से अपने दुष्मनों से सुरक्षित हो गया। परंतु उससे उसका राज्य अशांति से बच न सका। बाहरी खतरों से बचने के आश्वासन के साथ आंतरिक के शांति की शक्तियों से बच न सका।

सहायक सेना पर भरोसा रखकर निजाम ने अपना योग्य सामरिक संगठन कायम रखना छोड़ दिया। इसलिए विघटन की शक्तियाँ बिना किसी रोक-टोक के काम करने लगी। बाद में ड्यूक ऑफ़ बेलिंगटन ने बतलाया कि ''एक एसे देश के विषय में सोंचो जहां प्रत्येक गांव में 20 से लेकर 30 ऐसे घुड़सवार हो, जिन्हे नौकरी से हटा दिया गया हो और जिनके पास लूट को छोड़कर जीविका का कोई साधन नहीं हो। इस देश में कोई कानून नहीं हो, कोई नागरिक सरकार नहीं है, बिना अपने गांव में ठहरे हुए, हथियार बंद सेना की रक्षा के केाई निवासी न खेती कर सकता है न करेगा। (पेशवा के राज्य के समान) निजाम के राज्य में वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ चली जा रही थी और अयोग्यता एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व के संक्रमणकाल देशी व्यवस्था की अवनति हो रही थी।

1802 ई0 में निजाम के राज्य में कम्पनी के व्यापार की सुरक्षा तथा सुधार के लिए निजाम के साथ एक व्यापारिक संधि हुई। 1803 ई0 मे निजाम अली की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका बेटा सिकंदरशाह गद्दी पर आसीन हुआ। उसने दिल्ली सम्राट से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए स्वांग किया।'' जैसा कि पूर्व में विदित है, कि जब द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध का अंत हुआ तो हैदराबाद बँटवारे संबंधी संधि (28 अप्रैल 1804) के अनुसार निजाम को सिंधिया और भोंसला राजा से जीते हुए दक्कन के प्रदेश मिले।

1808 ई0 में, निजाम के मंत्री मीरआलम की मृत्यु हुई वह अंग्रेजों का सच्चा मित्र था। इस समय निजाम के राज्य में अशांति और उपद्रव प्रारंभ हुआ जहां दूसरे पर भरोसा करना सीखा, शासक प्रगतिषील कार्यों के लिए आत्म-विश्वास और पेशकदमी खो बैठता है, जहाँ किसी कारणवश रक्षक अशांति के कारणों को हटाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उस देश की संतोषजनक अवस्था नहीं हो सकती है।

परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में इस समय कम्पनी प्रादेशिक प्रसार तथा राजनीतिक प्रभुत्व की योजनाओं में व्यस्त थी। ब्रिटिश प्रदेशों में भी पुर्ननिर्माण तथा सुधार का कार्य कुछ वर्षो के बाद वेंटिक के समय में आरंभ हुआ। अपने आने से पहले 12 दिसंबर 1822 ई. को लार्ड हेस्टिंग्ज ने निजाम के साथ संधि की “इसके अनुसार निजाम को काफी

www.ignited.in

बड़ा प्रदेश मिला, पेशवा को कर देने से वह मुक्त कर दिया गया और सुनिष्चित सीमा प्राप्त करने के लिए प्रदेश का कुछ अदल-बदल हुआ।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. स्केच ऑफ़ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया पृष्ठ-668-69
2. वेवेरिज कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री जिल्द-2, पृष्ठ-582
3. एचिनसन-जिल्द-5- पृष्ठ-49, 49-54
4. एचिनसन-जिल्द-5- पृष्ठ-69-80
5. ऑवेन, वेलेस्ली, डिस्पैचेज, पृष्ठ-171-77
6. ऑवेन, वेलिंगटन, डिस्पैच, पृष्ठ-39
7. इंडिया अंडर वेलेस्ली-पृष्ठ-83

Corresponding Author

Dr. Manjay PD. Kashyap*

Assistant Teacher, Lakhisarai (Government of Bihar) Singer, A.I.R. and Durdarshan, Patna, Bihar (Government of India), Gold Medalist-Patna College, Patna University, Patna, Bihar